कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी उन्नाव

संख्याःसी.एफ.ओ./डी0/पे0प0–2022(08) दिनांकःमई 12 ,2022

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
उन्नाव।

विषयः गाटा संख्या–489 व 490 स्थित ग्राम कुशहरी परगना गौरिन्दा परसन्दन तहसील हसनगंज जिला उन्नाव में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट पम्प स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावित भूमि की जॉच आख्या व मानचित्र प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः आपका पत्र संख्याः153/42–आब0लि0/अनापत्ति प्रमाण पत्र–/2021–22 दिनांकः14.03.2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें,जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर, कालपी रोड, पनकी कानपुर ने अपने पत्र संख्या–KNP DO/RO/NAWABGANJ Toll Plaza दिनाँकः09.03.2022 के क्रम में संलग्न मानचित्र के अनुसार गाटा संख्या–489 व 490 स्थित ग्राम कुशहरी परगना गौरिन्दा परसन्दन तहसील हसनगंज जिला उन्नाव में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रिटेल आउटलेट पम्प स्थापित किये जाने हेतु आवेदिका श्रीमती प्रियंका छागला पत्नी श्री विजय 54 साउथ सिटी मोहनलाल गंज रायबरेली लखनऊ द्वारा दिनॉकः03.05.2022 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमे इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनॉकः08.04.2022 द्वारा प्रस्तावित कमियों का निवारण करते हुये प्रस्तावित न्यू रिटेल आउटलेट पम्प का अग्निसुरक्षा की दृष्टिकोण से पुनः निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के कम में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर, कालपी रोड, पनकी कानपुर के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनाँकः09.03.2022 के द्वारा प्रेषित संलग्न मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित स्थल लखनऊ से उन्नाव(एन0एच0–27, ओल्ड एन0एच0–25) मार्ग पर कि0मी0 स्टोन संख्या–36 अंकित है ,से 20.00 मीटर उन्नाव की तरफ स्थित गाटा संख्या–489 व 490 स्थित ग्राम कुशहरी परगना गौरिन्दा परसन्दन तहसील हसनगंज जिला उन्नाव पर न्यू रिटेल आउटलेट पम्प का अग्नि सुरक्षा एवं पेट्रोलियम एक्ट–1934, पेट्रोलियम नियम–2002,एवं संशोधित पेट्रोलियम नियम–2007 तथा ओआईएसडी–225 के मानकों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी हसनगंज के साथ पुनः संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आयें।

1– निरीक्षण के समय प्रस्तावित स्थल खाली पाया गया। जो लखनऊ से उन्नाव(एन0एच0–27, ओल्ड एन0एच0–25) मार्ग पर स्थित है तथा मानक के अनुरूप है। जहॉ पर अग्निशमन के सभी वाहन आसानी से पहुॅचकर अग्निशमन कार्य कर सकतें हैं।

2– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का सम्पूर्ण क्षेत्रफल–1925.00वर्गमीटर व सेल्स बिल्डिंग कवर्ड एरिया लगभग 36 वर्गमीटर है।

3– 20के.एल. क्षमता का एक अदद एच0एस0डी0 भूमिगत टैंक एवं 20के.एल. क्षमता का 01 अदद एम0एस0 भूमिगत टैंक प्रस्तावित है।

4– दोनों टैंको के पास–4.00मीटर ऊचॉई का वेन्ट पाइप प्रस्तावित हैं।

5– भूमिगत टैंक एवं बाउन्ड्री वाल के मध्य–15.00मी0 चौडाई की सुरक्षा दूरी छोडा जाना प्रस्तावित है।

6– प्रस्तावित न्यू रिटेल आउटलेट में 11.50 मीटर चौडाई के प्रवेश/निकास द्वार प्रस्तावित है।

7– मार्ग एवं न्यू रिटेल आउटलेट के मध्य 12 मीटर लम्बी एवं 03 मीटर चौडी बफर का प्राविधान किया जाना प्रस्तावित है।

8– प्रस्तावित न्यू रिटेल आउटलेट पम्प के 100 मीटर की परिधि के अन्दर अति ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण वर्तमान में नही है।

8– निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई भी हाईटेंशन विद्युत लाईन नहीं गुजरी पायी गयी।

9– निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित स्थल से कोई भी सीवर लाईन नहीं गयी है।

10–प्रस्तावित स्थल के आस–पास किसी भी ज्वलनशील पदार्थो का भण्डारण/दुकान आदि नही पायी गयीं।

<u>प्रस्तावित व्यवस्था एवं अग्निशमन प्रणालीः–</u>

1– सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आई0एस0–2148–1646 व आई0एस0–5572 के मानकों के अनुरूप किया जाए तथा विद्युत वायरिंग में ई0एल0सी0बी0/एम0सी0बी0 का प्रयोग किया जाए।

2– प्रत्येक टैंक के लिये अलग–अलग वेन्ट पाइप का प्राविधान किया जाना चाहिए जिसकी ऊँचाई 04.00 मीटर होनी चाहिए तथा उसके चारों ओर 04.00मीटर में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए।

3– वेन्ट पाइप पेट्रोलियम नियम–2002 एवं ओ0आई0एस0डी0–225 के मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

4

21/6/22

हेमन्त कुमार/Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विक्रय)/Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड/Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर–208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020

4– टैंक में तेल भरते समय टैंक डिस्पेन्सर व लारी के पास खुली आग का प्रयोग करना वार्जित है।

5– तेल टैंकर/लारी से तेल ड्रेन करते समय अर्थिंग किया जाना अति आवश्यक है।

6– डीजल एवं पेट्रोल की भण्डारण स्थल के पास 50कि0ग्रा0 क्षमता के आई0एस0आई0 मार्क ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर ट्राली टाईप दो अदद एवं फायर सैण्ड बकेट 12 अदद मय स्टैण्ड रखी जाए।

7– प्रत्येक डिस्पेन्सर यूनिट के पास दो–दो अदद आई0एस0आई0 मार्क ए0बी0सी0 फायर एक्शटिंग्यूशर क्षमता 09कि0ग्रा0 के रखे जाए। समस्त अग्निशमन यंत्रों को कियाशील रखनें एवं उनका रख–रखाव नियमानुसार किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

8– इलेक्ट्रिक उपकरणो के पास आई0एस0आई मार्क कार्बन डाई आक्साइड फायर एक्स्टिंग्यूशर 02 अदद क्षमता 4.5कि0ग्रा0 के रखे जाए।

9– डीजल जनरेटर सेट के पास आई0एस0आई0 मार्क ए0बी0सी0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 02 अदद 09 कि0 ग्रा0 क्षमता एवं 01 अदद 50 लीटर क्षमता का मैकेनिक फोम फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0 मार्क का रखा जाए। और डी0जी0 सेटस के स्टैक हाईट नियमानुसार होना चाहिए एवं टैंक के वेन्ट से उचित दूरी होनी चाहिए।

10– पेट्रोल पम्प पर यदि जनरेटर की स्थापना की जाती है तो ध्वनि/वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु एकास्टिक इनक्लोजर लगाया जाना अनिवार्य होगा।

11– जनसुरक्षा हेतु समरसेबुल पम्प को जनरेटर से जोडा जाए व पम्प पर टी लगाकर 63 एम0एम0 फीमेल कपलिंग /हाइड्रेन्ट लगवाये जाए । जिससे अग्निशमन वाहन आवश्यकता पडनें पर पानी प्राप्त कर सकें ।

12– लाइसेंस एरिया मे जक्शन बाक्स के साथ सभी लाइटें फ्लेम प्रूफ होनी चाहिए।

13– प्रत्येक पावर पम्प मोटर पर इमरजेन्सी स्टाप सिस्टम होना चाहिए। जिससे आकस्मिकता के समय प्रयोग किया जा सकें।

14– इमरजेन्सी प्लान ओ0आई0एस0डी0–225 के अनुसार होना चाहिए।

15– पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग ओ0आई0एस0डी0–225 के अनुसार होनी चाहिए।

16– पेट्रोल पम्प पर धूम्रपान निषेध के बोर्ड लगें होने चाहिए।

17– फायर स्टेशन का टेलीफोन नम्बर–101 मो0न0–9454418665/67 और यू0पी0–112 कन्ट्रोल रूम का बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से अंकित होने चाहिए।

18– प्रवेश/निकास द्वारा प्रकाशित होने चाहिए, जिससे रात्रि के समय वाहनों के आने जानें मे कोई असुविधा न हों।

19– जागरूकता के लिये निम्न सुरक्षा निर्देशों को बोर्ड पर अंकित कर लटकायें

(अ) तेल भरने से पहले वाहन का इंजन बन्द कर लें।

(ब) धूम्रपान न करें।

(स) मोबाइल स्विच ऑफ कर लें।

20– पेट्रोल पम्प में स्थापित किये गयें सभी प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की टेस्टिंग फीस प्रतिवर्ष राजकीय कोष में जमा कराना अनिवार्य होगा तथा विभागीय अग्निशमन अधिकारी से प्रतिवर्ष निरीक्षण कराकर अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना भी आवश्यक होगा।

21– मानचित्र में अंकित समस्त निर्देशो (01 से 22) तथा अन्य सभी दिये गये अग्निसुरक्षा निर्देशो का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः उपरोक्त ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रस्तावित समस्त अग्निशमन व्यवस्थाओं का पालन करनें एवं पेट्रोलियम एक्ट–1934, पेट्रोलियम नियम–2002 एवं संशोधित पेट्रोलियम नियम–2007 तथा ओ0आई0एस0डी0–225 में तथा मानचित्र में उल्लेखित शर्तो/नियमों का कड़ाई से पालन किये जाने की शर्त के साथ अग्निशमन विभाग की आख्या संस्तुति सहित इस शर्त के साथ जारी किया जाता है कि प्रस्तावित न्यू रिटेल आउटलेट का निर्माण हो जाने के उपरान्त उपयोग से पहले प्रस्तावित अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं का पुनः निरीक्षण कराकर अन्तिम स्थाई अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा निर्गत आख्या को स्वतः निरस्त समझा जायेगा। आख्या केवल अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कार्यो के लिए ही विधि मान्य होगी।

(आर0के0तिवारी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
उन्नाव।

प्रतिलिपिः– श्रीमती प्रियंका छागला पत्नी श्री विजय 54 साउथ सिटी मोहनलाल गंज रायबरेली लखनऊ को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर, कालपी रोड, पनकी कानपुर जनपद उन्नाव के गाटा संख्या–489 व 490 स्थित ग्राम कुशहरी परगना गौरिन्दा परसन्दन तहसील हसनगंज जिला उन्नाव पर उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।

21/6/22

हेमन्त कुमार / Hemant Kumar
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Ch. Manager (RS)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर–208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020